

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र07-ज0वि0प्र0-05/09-

1023

/खाद्य, पटना/दिनांक- 16/2/2012

प्रेषक,

जयशंकर प्रसाद यादव,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :- सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश- 2011 संबंधी निर्गत विभागीय अधिसूचना, ज्ञापांक- 5738, दिनांक- 26.06.2011 के निर्गत होने के पूर्व अनुकम्पा के आधार पर जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति देने के संबंध में मार्ग-निर्देश ।

महाशय,

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में स्पष्ट करते हुए कहना है कि सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश- 2011 संबंधी निर्गत विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक- 5738, दिनांक- 26.06.2011 के निर्गत होने के पूर्व अर्थात् 23.06.2011 से पूर्व के मृत्यु के मामलों में संशोधन आदेश प्रभावी नहीं होगा यानि 55 (पचपन) वर्ष की आयु सीमा संबंधी बंधेज लागू नहीं होगा । तद्नुसार लंबित मामलों का निस्तार करने की कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक- प्र07-ज0वि0प्र0-05/09-

1023

/खाद्य, पटना/दिनांक- 16/2/2012

प्रतिलिपि- सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

16/2/12